राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–366/2025

अरविंद सिंह झाला **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए, शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, राजसमंद।
4. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राजसमंद।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अंकित चौधरी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–6) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को रेंज देसूरी, उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमंद से क्षेत्रीय वन अधिकारी वन बंदोबस्त, उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमंद स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को वर्तमान स्थान से 2 वर्ष पूर्व ही स्थानांतरित कर दिया गया है। वन विभाग की स्थानांतरण नीति दिनांक 20.04.2011 (अनुलग्नक–7) में यह प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक अधिकारी/उच्च कार्मिक को एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व स्थानांतरण नीति के विरुद्ध जाते हुए अपीलार्थी वर्तमान स्थान से न्यूनतम अवधि से 2 वर्ष पूर्व ही स्थानांतरण किया गया है जो उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया गया।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त स्थानांतरण नीति के विरुद्ध जाते हुए अपीलार्थी वर्तमान स्थान से न्यूनतम अवधि से 2 वर्ष पूर्व ही स्थानांतरित किया गया है जो उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया जाए। हम पाते हैं कि स्थानांतरण नीति में यह प्रावधान भी रखा गया है कि अधिकारी/उच्च कार्मिक का विशेष परिस्थितियों में 2 वर्ष पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्य हित में किया गया है। ऐसे में हम पाते हैं कि प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अतः अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश नियम विरुद्ध होना नहीं माना जा सकता।

5. हमने अपीलार्थी के द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया स्थानांतरण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए है कि यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वे प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने इस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है और ऐसे प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, परिणामस्वरूप हम इस परीक्षण में कोई बल होना नहीं पाते हैं, अतः अपील खारिज की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–6) में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)